[2018] 7 एस. सी. आर. 898

मुकेश

वी.

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

(समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) 2017 का सं. 570)

में।

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 607)

09 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, आर. भानुमति और

अशोक भूषण, जे. जे.]

समीक्षा-निर्भया मामला-एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या-चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मौत की सजा-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपील-एक द्वारा दायर समीक्षा याचिका

याचिकाकर्ता-अभियुक्त-गिरफ्तारः तत्काल मामले में, समीक्षा याचिका किसी भी आधार का खुलासा नहीं करती है, जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। 137 आर/डब्ल्यू। Or.XLVII, आर. 1 याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए नियमों के प्रस्तुतिकरण कमोबेश वही थे जो अपील की सुनवाई के समय दिए गए थे और उच्चतम न्यायालय ने पहले ही प्रासंगिक प्रस्तुतियों पर विचार किया था और अपने निर्णय में उन पर विचार किया था-पुनर्विचार याचिका द्वारा याचिकाकर्ता को मामले के गुण-दोष पर पुनः बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कुछ सबूत और सामग्री जो रिकॉर्ड में थीं और जिन पर पहले से ही निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी गौर किया जा चुका था-भारत का संविधान-अनुच्छेद। 137 - उच्चतम न्यायालय नियम, 2013-या। XLVII, आर. 1.

उच्चतम न्यायालय की समीक्षा शक्ति-आयोजितः की शक्ति

न्यायालय पर अन्य कानूनों द्वारा-कला। 137 सर्वोच्च न्यायालय को घोषित या किए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार देता है। बेशक, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या यू/आर्ट द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के लिए। 145 संविधान का-भारतीय संविधान कला। 137 और 145।

पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत परिकल्पित उच्चतम न्यायालय की समीक्षा की शक्ति निस्संदेह न्यायालय को अन्य कानूनों द्वारा प्रदत्त समीक्षा अधिकार क्षेत्र से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, निश्चित रूप से, घोषित या किए गए किसी भी फैसले की समीक्षा करने का अधिकार देता है। [पैरा 5] [903-सी-डी]

2. किसी निर्णय की समीक्षा करने के लिए एक आवेदन पर हल्के में विचार नहीं किया जाना चाहिए और यह न्यायालय अपने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

केवल तभी जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII नियम 1 में प्रदान किए गए आधार बनाए जाते हैं। नियम के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा की अनुमति केवल रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार पर दी जाती है। [पैरा 6,7] [903-ई, जी]

3. पुनर्विचार याचिका में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने आरोपी-याचिकाकर्ता को करोली, राजस्थान राज्य से सुबह 17.12.2012 पर गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 18.12.2012 की शाम को गिरफ्तार किया गया दिखाया गया। उच्च न्यायालय ने इस निवेदन पर विचार किया है और ध्यान दिया है कि याचिकाकर्ता ने धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में एक प्रश्न के उत्तर No.132 में दावा किया है कि उसे राजस्थान के उसके गाँव करोली में नहीं पकड़ा गया था, बल्कि उसे दिल्ली के रविदास शिविर में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 18.12.2012 पर एक औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई है और इस अदालत ने अपने दिनांकित 05.05.2017 के फैसले के माध्यम से इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि आरोपी को औपचारिक रूप से सफ़दरजंग अस्पताल में 18.12.2012 पर शाम 6:30 बजे सफ़दरजंग अस्पताल में गिरफ्तार किया गया था। यह निवेदन यह मानने के लिए कोई आधार नहीं बनाता है कि

अभियुक्त के दोषसिद्धि और मुकदमे को किसी भी तरह से दूषित किया जाता है ताकि

05.05.2017 दिनांकित निर्णय की समीक्षा के लिए आह्वान करना। 05.05.2017 दिनांकित निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। [पारस 14,29] [908-जी-एच; 911-ए-सी]

4. याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि करोली/राजस्थान में याचिकाकर्ता-आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखने और उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में विफलता पर इस अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया था। अभियुक्त नं. 2-याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का विवरण दिनांक 05.05.2017 [2018] 7 एस. सी. आर. के फैसले में विस्तार से संदर्भित किया गया है।

और विभिन्न वसूली को भी उसमें संदर्भित किया जाता है। [पैरा 44] [917-बी-सी]

5. नंबर 2-याचिकाकर्ता पर आरोप लगाने वाला तर्क नहीं है

पता है कि मुकदमे के दौरान या साक्ष्य में गाड़ी चलाने का मुद्दा नहीं उठाया गया है और अभियुक्त द्वारा गवाहों से जिरह भी नहीं की गई है। पीडब्लू-1 के साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य सहित अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय निष्कर्ष है कि अभियुक्त नं। 2 - याचिकाकर्ता बस चला रहा था। यह मुद्दा कि क्या अभियुक्त संख्या 2-याचिकाकर्ता के पास बस चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, अभियुक्त के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं है जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने भी की है। [पैरा 35] [913-ए-सी]

6. याचिकाकर्ता ने पीड़ित की मृत्यु घोषणाओं पर हमला किया है। इस न्यायालय ने पीड़ितों की तीनों मृत्यु घोषणाओं पर विस्तृत रूप से विचार किया था। तीनों मृत्यु घोषणाओं पर निचली अदालत, उच्च न्यायालय और इस अदालत और सभी ने भरोसा किया है।

मरने वाली घोषणाओं पर हमला करने वाले तर्क

विचार किया गया और अस्वीकार किया गया, अपने दिनांक 1 के फैसले में, याचिकाकर्ता को उन्हीं मुद्दों को फिर से आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका था और जिन्हें स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। [पैरा 39] [915-ई-एफ]

पीडब्लू. 1 के साक्ष्य की व्यापक रूप से जांच की और पर्याप्त जानकारी दी है। उक्त साक्ष्य को विश्वसनीय स्वीकार करने का कारण। याचिकाकर्ता ने

मामले को फिर से आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पारस 21,42] [909-एफ; 916-एफ] 8. याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि आरोपी नंबर 2-याचिकाकर्ता से उसकी नजरबंदी के दौरान केवल उसे गलत तरीके से फंसाने के लिए दो अलग-अलग बरामदगी हुई थी और इस अदालत द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। अभियुक्त संख्या 2-याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और बरामदगी का निर्देश दिया गया है और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और प्रत्येक से बरामद वस्तुओं की बरामदगी का विवरण दिया गया है।

उन्हें आगे निर्णय में भी संदर्भित किया जाता है। विभिन्न निर्णयों के आलोक में, वसूली के दायरे पर विचार किया गया और

अभियुक्त संख्या 2-याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई दलीलों को असमर्थनीय माना गया। तर्क अब आगे बढ़ गए जिससे संदेह पैदा हुआ मुकेश बनाम।

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

लेखों की गिरफ्तारी और बरामदगी के बारे में, दिनांकित 05.05.2017 निर्णय की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनाते हैं। [पैरा 43] [916-एफ-एच; 917-ए-बी]

9. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई प्रस्तुतियाँ

इस पुनरीक्षण याचिका में कमोबेश वे प्रस्तुतियाँ हैं जो अपील की सुनवाई के समय आगे बढ़ाई गई थीं और इस न्यायालय ने पहले ही प्रासंगिक प्रस्तुतियों पर विचार किया था और उन्हें अपने दिनांकित 05.05.2017 के निर्णय में निपटाया था। इस अदालत ने सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड में दिए गए सभी साक्ष्यों पर फिर से विचार किया और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद अपील को खारिज कर दिया। पुनरीक्षण याचिका द्वारा याचिकाकर्ता को कुछ सबूतों और सामग्रियों को इंगित करके मामले के गुण-दोष पर अपील पर फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो रिकॉर्ड में थे और जिन पर पहले से ही निचली अदालत, उच्च न्यायालय और इस अदालत द्वारा भी गौर किया जा चुका था। [पैरा 46] [917-ई-जी]

10. पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता ने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की थी

निवेदन है कि वह बस में नहीं था और उसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। अपराध में शामिल होने के तथ्य को सभी अदालतों द्वारा देखा गया है और सबूतों को जुटाने के बाद, उसे दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, पुनर्विचार याचिका में याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि उसका घटना से कोई लेना-देना नहीं है। [पैरा 47] [917-जी-एच; 918-ए]

एस. सी. सी. 518 पर भरोसा किया। सो चंद्र कांटे और एक अन्य वी। शेख हबीब

(1975) 1 एससीसी 674; पी. एन. ईश्वर अय्यर और अन्य बनाम

पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (1980) 4 एस. सी. सी. 680:

[1980] 2 एस. सी. आर. 889; देवेंद्र पाल सिंह बनाम। राज्य, एनसीटी

दिल्ली (2003) 2 एस. सी. सी. 501: [2002] 5 पूरक। एससीआर 332;

सुथेन्द्रराज उर्फ सुथेन्थिरा राजा उर्फ संथन और अन्य वी। पुलिस अधीक्षक सी. बी. आई. के माध्यम से राज्य

(1999) 9 एससीसी 323: [1999] 3 पूरक। एससीआर 540; प्रभु वी. सम्राट ए. आई. आर. 1944 पी. सी. 73-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1975) 1 एस. सी. सी. 674

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[1980] 2 एससीआर 889

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2002] 5 पूरक। एससीआर 332

पै

रा 8

[201

8] 7 एस. सी. आर. को संदर्भित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1999] 3 पूरक। एससीआर 540

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2013] 11 एससीआर 25

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

(2017) 8 एस. सी. सी. 518

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1944 पी. सी. 73

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः याचिका की समीक्षा करें

(आपराधिक) 2007 की आपराधिक अपील संख्या 607 में 2017 की संख्या 570।

उच्च न्यायालय के 13.03.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की आपराधिक अपील संख्या 1398 और 2013 की मृत्यु संदर्भ संख्या 6 में नई दिल्ली में।

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , मनोहर लाल शर्मा, सुश्री सुमन, नितिन

कुमार ठाकुर, ए. पी. सिंह, वीर पाल सिंह, सुश्री गीता सिंह चौहान, सुश्री प्रतिमा रवि, सुश्री ऋचा सिंह, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सुश्री श्रद्धा करोल, समीर चौधरी, सुश्री दृष्टि हरपलानी, अर्जुन विनोद बोबडे, सुश्री ऋचा रेलहन, सुश्री सुरभी सरदाना, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. इस पुनरीक्षण याचिका द्वारा याचिकाकर्ता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दायर इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय की समीक्षा करने के लिए प्रार्थना करता है जिसके द्वारा 2017 की आपराधिक अपील संख्या 607 को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली में आई. डी. 1 पर हुई भयानक घटना जिसमें 23 साल की एक युवती (बदला हुआ नाम निर्भया) के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे बेरहमी से घायल कर दिया गया, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई, जिसमें याचिकाकर्ता अभियुक्तों में से एक था। याचिकाकर्ता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट) साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली द्वारा दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौत के संदर्भ की पुष्टि की और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया।

वाक्य।

2. दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित फैसले के खिलाफ व्यथित

13.03.2014 , 2017 की आपराधिक अपील संख्या 607 याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी जिसे इस न्यायालय द्वारा 05.05.2017 पर खारिज कर दिया गया था। अब, यह आवेदन याचिकाकर्ता की आपराधिक अपील को खारिज करने वाले दिनांकित 05.05.2017 के फैसले की समीक्षा के लिए दायर किया गया है।

3. इससे पहले कि हम इस समीक्षा में उठाए गए प्रस्तुतियों में प्रवेश करें

याचिका, अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए उपलब्ध दायरे और आधारों को दोहराना उपयोगी है। ऑर्डर XLVII मुकेश v.

दिल्ली राज्य [अशोक भूषण, जे.]

समीक्षा से संबंधित उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का नियम 1 इस प्रकार हैः

" आई. न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन सिविल कार्यवाही में समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि

संहिता के आदेश XLVII, नियम 1 में उल्लिखित आधार, और एक आपराधिक कार्यवाही में एक स्पष्ट त्रुटि के आधार को छोड़कर

रिकॉर्ड का चेहरा। ”

4. विभिन्न निर्णयों में, इस न्यायालय ने पहले ही अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा याचिका की स्थिरता के संबंध में कानून का निपटारा कर लिया है।

आपराधिक अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के आदेश XL नियम 1 के साथ पढ़ा गया भारत का संविधान। अभियुक्त द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार करने से पहले, हम उपयोगी रूप से कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं।

5. संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत परिकल्पित उच्चतम न्यायालय की समीक्षा की शक्ति निस्संदेह समीक्षा अधिकार क्षेत्र से अधिक व्यापक है। न्यायालय पर अन्य कानूनों द्वारा प्रदत्त। अनुच्छेद 137 अधिकार देता है -

संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाया गया। 6. किसी निर्णय की समीक्षा करने के लिए एक आवेदन पर हल्के में विचार नहीं किया जाना चाहिए और यह न्यायालय अपने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का उपयोग केवल तभी कर सकता है जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII नियम 1 में आधार बनाए गए हों। सो चंद्र कांटे में यह न्यायालय और एक अन्य बनाम। शेख हबीब,

(1975) 1 एस. सी. सी. 674 ने समीक्षा पर न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर के माध्यम से बोलते हुए पैरा 10 में निम्नलिखित कहा हैः

" 10. किसी निर्णय की समीक्षा एक गंभीर कदम है और इसके लिए अनिच्छुक सहारा केवल तभी उचित है जब एक स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि पहले न्यायिक विफलता के कारण हुई हो। अलग-अलग सलाह के माध्यम से, पुराने और अस्वीकृत का केवल दोहराव।

तर्क, अप्रभावी रूप से ढकी हुई जमीन पर दूसरी यात्रा या

अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियाँ स्पष्ट रूप से हैं अपर्याप्त "।

7. नियम के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा की अनुमति केवल रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार पर दी जाती है। इस न्यायालय में

पी. एन. ईश्वर अय्यर और अन्य बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, (1980) 4 एस. सी. सी. 680 इस न्यायालय [2018] 7 एस. सी. आर. की समीक्षा अधिकारिता की जांच करते हुए।

आपराधिक और दीवानी कार्यवाही ने निम्नलिखित किया थाः

पैरा 34 और 35 में वैशनः

" 34. यह नियम, अपने चेहरे पर, दीवानी कार्यवाही में आदेशों की समीक्षा के लिए आधारों का एक व्यापक समूह प्रदान करता है, लेकिन आधार को सीमित करता है।

के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटियों के लिए आपराधिक कार्यवाही

रिकॉर्ड "। यदि बिल्कुल भी हो, तो न्यायिक त्रुटि से बचने के लिए कानून की चिंता तब बढ़नी चाहिए जब जीवन या स्वतंत्रता खतरे में हो क्योंकि नागरिक दंड अक्सर कम दर्दनाक होते हैं। इसलिए, यह मान लेना उचित है कि नियमों के निर्माता आपराधिक आदेशों या निर्णयों पर प्रतिबंधात्मक समीक्षा का इरादा नहीं रख सकते थे। इसके विपरीत होने की संभावना है। मान लीजिए कि एक आरोपी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है और "मृतक" अदालत में दिखाई देता है और अदालत को दर्ज की गई गवाही के दुखद विश्वासघात का पता चलता है। क्या अदालत फांसी की सजा की समीक्षा करने और उसे रद्द करने में असहाय है? हम नहीं सोचते हैं। पुनरीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 137 में है और यह है -

35. उद्देश्य सादा है, भाषा लोचदार है और एक आवश्यक शक्ति की व्याख्या स्वाभाविक रूप से विस्तृत होनी चाहिए। मूल शक्ति अनुच्छेद 137 से प्राप्त की गई है और आपराधिक के लिए उतनी ही व्यापक है जितनी दीवानी कार्यवाही के लिए। यहां तक कि नियम में वाक्यांश विज्ञान में अंतर (आदेश 40 नियम 2) को भी उसी क्षेत्र को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए न कि एक कृत्रिम विचलन को उत्पादक बनाने के लिए।

विसंगति। यदि अभिव्यक्ति "अभिलेख" का अर्थ पढ़ा जाता है, तो इसके अर्थगत विस्तार में, अदालत की अनुमति के साथ बाद में भी रिकॉर्ड में लाई गई कोई भी सामग्री, इसमें बाद की घटनाओं को शामिल किया जाएगा, नई

प्रकाश और अन्य आधार जो हम आदेश 47 नियम 1, सी. पी. सी. में पाते हैं। जब एक ही स्रोत से समीक्षा शक्ति का उपयोग किया जाता है तो हम दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में क्षेत्र की बराबरी करने में कोई अपूरणीय कठिनाई नहीं देखते हैं। मुकेश वी.

8. देवेंद्र पाल सिंह बनाम। राज्य, एन. सी. टी. दिल्ली, (2003) 2 एस. सी. सी. 501, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समीक्षा अपील की फिर से सुनवाई नहीं कर रही है। समीक्षा भेष बदलकर की गई अपील नहीं है। सुथेन्द्रराज उर्फ सुथेन्थिरा राजा उर्फ संथन और अन्य बनाम राज्य पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई., (1999) 9 एस. सी. सी. 323, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 5. यह देखा जाएगा कि आपराधिक मामले में समीक्षा का दायरा

उपरोक्त निर्णय में घोषणा से कार्यवाहियों का काफी विस्तार हुआ है। किसी भी मामले में समीक्षा अपील की फिर से सुनवाई नहीं है और एक समीक्षा याचिका को बनाए रखने के लिए यह दिखाना होगा कि न्याय की विफलता हुई है। बेशक, "न्याय का गर्भपात" अभिव्यक्ति सभी को गले लगाने वाली है।

9. इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में समीक्षा अधिकार क्षेत्र के दायरे पर विचार किया गया है और अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों पर विचार किया गया है।

बार-बार दोहराया। कमलेश वर्मा बनाम मायवती और अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. 320 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना पर्याप्त है, जहां इस न्यायालय ने समीक्षा के दायरे पर विस्तार से विचार किया है। पैरा 17,18,20.1 और 20.2 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 17. एक समीक्षा याचिका में, यह अदालत के लिए पुनर्मूल्यांकन करने के लिए खुला नहीं है

सबूत देते हैं और एक अलग निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, भले ही वह संभव हो। साक्ष्य के मूल्यांकन पर आए निष्कर्ष पर पुनर्विचार याचिका में तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि रिकॉर्ड के सामने या उसके समान किसी कारण से कोई त्रुटि स्पष्ट है। केरल एस. ई. बी. बनाम में यह न्यायालय। हाइटेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रोपावर लिमिटेड निम्नलिखित रूप में आयोजितः (एस. सी. सी पी. 656, पैरा 10)

“ 10. ..... पुनरीक्षण याचिका में यह न्यायालय के लिए साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला नहीं है, भले ही वह संभव हो। बोर्ड के विद्वान वकील ने सबसे अच्छा हमें प्रभावित करने की कोशिश की कि पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया गया पत्राचार इस न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है। हमें डर है कि इस तरह के निवेदन को पुनर्विचार याचिका में आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। की सराहना

अभिलेख पर साक्ष्य पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। यदि प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर, अदालत तथ्य के निष्कर्ष को दर्ज करती है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, तो उस निष्कर्ष पर समीक्षा याचिका में तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि रिकॉर्ड के सामने या उसके समान किसी कारण से कोई त्रुटि स्पष्ट है। यह तर्क नहीं दिया गया है [2018] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारे सामने कि चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट है

रिकॉर्ड करें। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को किसी प्रश्न पर बहस करने की अनुमति देना।

साक्ष्य की सराहना एक को परिवर्तित करने के बराबर होगी

भेष बदलकर एक अपील में पुनर्विचार याचिका "।

18. समीक्षा किसी मूल विषय की पुनः सुनवाई नहीं है। की शक्ति

समीक्षा को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है जो एक उच्च न्यायालय को एक अधीनस्थ द्वारा की गई सभी त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाता है।अदालत। पुराने और अस्वीकृत तर्क की पुनरावृत्ति पर्याप्त नहीं है

समाप्त निर्णयों को फिर से खोलें। जैन स्टूडियो लिमिटेड में यह न्यायालय।

वी. शिन सैटेलाइट पब्लिक कं. लिमिटेड, निम्नानुसार आयोजितः (एससीसी पीपी। 504

505 , पैरा 11-12)

" 11. जहाँ तक योग्यता के आधार पर आवेदक की शिकायत है

संबंधित, प्रतिद्वंद्वी के लिए विद्वान वकील सही है

प्रस्तुत करना कि वस्तुतः आवेदक वही राहत चाहता है जो मुख्य मामले पर बहस करने के समय मांगा गया था

और नकार दिया गया था। एक बार ऐसी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था,

कोई समीक्षा याचिका नहीं होगी जो पुनः सुनवाई को परिवर्तित कर दे मूल बात। यह तय कानून है कि समीक्षा की शक्ति

अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है जो एक सक्षम बनाता है अधीनस्थ द्वारा की गई सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय

अदालत। यह किसी मूल विषय की पुनः सुनवाई नहीं है। एक पुनरावृत्ति

पुराना और खारिज किया गया तर्क निष्कर्ष को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है

अत्यधिक देखभाल, सावधानी और सावधानी और केवल असाधारण मामले।

12. जब आवेदक द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रार्थना की जाती है

इसमें उस समय किया गया था जब मध्यस्थता याचिका दायर की गई थी सुना गया और अस्वीकार कर दिया गया, वही राहत नहीं मांगी जा सकती

एक समीक्षा याचिका दायर करके एक अप्रत्यक्ष तरीके से। ऐसी याचिका,

मेरी राय में, 'दूसरी पारी' की प्रकृति में है जो है अस्वीकार्य और अनुचित और प्रदान नहीं किया जा सकता है।

9

999

20.1 . जब समीक्षा बनाए रखने योग्य होगीः

(i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज जो,

उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, ज्ञान में नहीं था याचिकाकर्ता का या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका;

((ii) अभिलेख के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि; मुकेश v.

दिल्ली राज्य [अशोक भूषण, जे.]

((ग) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

छज्जू राम बनाम में "कोई अन्य पर्याप्त कारण" शब्दों की व्याख्या की गई है। नेकी और मोरान मार में इस अदालत द्वारा अनुमोदित बासेलियोस कैथोलिकस बनाम। सबसे रेव. मार पॉलोस एथानासियस को

इसका अर्थ है "कम से कम नियम में निर्दिष्ट आधारों के अनुरूप पर्याप्त कारण"। उन्हीं सिद्धांतों को दोहराया गया है

भारत संघ बनाम। संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड

20.2 . जब समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं होगीः

(i) पुराने और अस्वीकृत तर्क की पुनरावृत्ति पर्याप्त नहीं है -

समाप्त निर्णयों को फिर से खोलें।

((ii) अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियाँ।

((ग) पुनरीक्षण कार्यवाहियों की तुलना मूल कार्यवाहियों से नहीं की जा सकती।

मामले की सुनवाई।

(iv) समीक्षा तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक कि आदेश के सामने प्रकट भौतिक त्रुटि, इसकी दृढ़ता को कम नहीं करती है या इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं होती है। (v) समीक्षा किसी भी तरह से छद्म रूप में एक अपील नहीं है जिसमें एक गलत निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार किया जाता है, लेकिन केवल इसके लिए निहित है।

पेटेंट त्रुटि।

(vi) इस विषय पर केवल दो विचारों की संभावना नहीं हो सकती है -

समीक्षा के लिए एक आधार।

(vii) अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि नहीं होनी चाहिए

एक त्रुटि जिसे खोजना और खोजना होता है।

(viii) अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, इसे समीक्षा याचिका में आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ix) समीक्षा तब कायम नहीं रखी जा सकती जब मुख्य मामले पर बहस करते समय मांगी गई उसी राहत को नकार दिया गया हो।

10. इसी पीठ ने हममें से एक (न्यायमूर्ति अशोक हान) के माध्यम से विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया नोथर बनाम पंजाब राज्य और दूसरे (2017) 8 एस. सी. सी. 518 में आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा के दायरे और दायरे पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया। 23 वें फैसले में निम्नलिखित कहा गया हैः

18] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समीक्षा क्षेत्राधिकार के मापदंड अच्छी तरह से परिभाषित हैं। आम तौर पर आपराधिक कार्यवाही में, समीक्षा आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है। अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के आधार को छोड़कर। इसके अलावा, अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय को दी गई शक्ति व्यापक है और एक उचित मामले में एक प्रकट अन्याय को कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। समीक्षा आवेदन द्वारा एक आवेदक को उन आधारों पर अपील पर फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर उस समय आग्रह किया गया था।

आपराधिक अपील की सुनवाई। भले ही आवेदक यह स्थापित करने में सफल हो कि अभियुक्त की दोषसिद्धि या सजा पर एक और दृष्टिकोण संभव हो सकता है जो समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह न्यायालय केवल समीक्षा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।

जब न्यायिक त्रुटि के कारण पहले के निर्णय में कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट की गलती हो गई हो। रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए जिससे न्याय की विफलता हो आदेश 40 नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। चेहरे पर एक भौतिक त्रुटि प्रकट होनी चाहिए

न्याय की विफलता में परिणाम के साथ रिकॉर्ड का "।

11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, समीक्षा क्षेत्राधिकार के मापदंडों को लागू करते हुए, हम अब समीक्षा में दिए गए आधारों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

यह पता लगाने के लिए याचिका कि क्या इस अदालत द्वारा दिनांकित 05.05.2017 के फैसले की समीक्षा करने के लिए समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कोई आधार हैं। 12. हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री M.L.Sharma विद्वान वकील और श्री सिद्धार्थ लूथरा विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है।

प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित होना।

13. समीक्षा याचिका के समर्थन में, श्री शर्मा ने विभिन्न दलीलें उठाई हैं जो श्री शर्मा के अनुसार समीक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं।

याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णय की गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21,20 (3), 22 (1) और 22 (2) के तहत। अब हम क्रमिक रूप से प्रस्तुतियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

14. श्री शर्मा प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस ने सुबह 17.12.2012 पर राजस्थान राज्य के करोली से मुकेश को गिरफ्तार किया और उसे दिखाया गया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 18.12.2012 की शाम को गिरफ्तार किया जाएगा। वह प्रस्तुत करता है कि मुकेश को करोली में उसकी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था जो अनुच्छेद 22 (1) और 22 (2) के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है।

15. श्री शर्मा ने आगे तर्क दिया है कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को वी. के. आनंद के पक्ष में अपना वकालतनामा देने के लिए मजबूर किया है।

अधिवक्ता, जो पुलिस प्रायोजित अधिवक्ता थे। वह प्रस्तुत करता है कि

16. श्री एम. एल. शर्मा ने आगे कहा कि आरोपी मुकेश को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिसके संबंध में उसने मार्च 2013 में निचली अदालत के समक्ष एक हलफनामा भी दायर किया था और इस हलफनामे पर इस अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया था। यह बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता के पी. सी. को पुलिस की यातना के तहत दर्ज किया गया था। 17. श्री शर्मा की दलीलों में से एक यह थी कि आरोपी मुकेश को बस चलाना नहीं आता था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था जो केवल एलएमवी (मोटरसाइकिल) के लिए था।

18. श्री शर्मा ने आगे कहा कि इस अदालत ने आई. ओ. एक्स. एच. द्वारा दायर रिमांड आवेदन पर विचार नहीं किया है। PW.80/D2, जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि 22.12.2012 तक कोई प्रकटीकरण मौजूद नहीं था।

19. श्री शर्मा द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह है कि इस अदालत ने कॉल विवरण को स्वीकार नहीं किया था, जिसके अनुसार आरोपी मुकेश 16.12.2012 पर बस में नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय उसे राम सिंह से रात 8.05 बजे कॉल आया था। 20. श्री शर्मा ने एस. डी. एम. उषा चतुर्वेदी द्वारा दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा पर हमला किया है और कहा है कि पुलिस डायरी में एस. डी. एम. उषा चतुर्वेदी द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा का कोई उल्लेख नहीं है।

21. श्री शर्मा ने फिर से पीडब्लू. 1 के साक्ष्य पर हमला किया है और कुछ विरोधाभासों और त्रुटियों को इंगित करने का प्रयास किया है।

22. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 391 Cr.P.C के तहत अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन के रूप में.

अपीलीय न्यायालय और उसमें कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

23. उपरोक्त दलीलों का जवाब देते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा का तर्क है कि राम सिंह से प्राप्त सूचना पर पुलिस राजस्थान के करोली जिले में पहुंची है और सुबह 10.45 पर मुकेश के घर पहुंची है और याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया है जो [2018] 7 एस. सी. आर. है।

उसे दिल्ली लाया गया और पहले वसंत विहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया और यह जानने के बाद कि आई. ओ. सफदरजंग अस्पताल में है, आरोपी को उक्त अस्पताल ले जाया गया जहां उसे औपचारिक रूप से शाम 6:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

24. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री लूथरा हमें निचली अदालत की कार्यवाही और निचली अदालत द्वारा उनके इस निवेदन के समर्थन में पारित आदेशों में ले गए हैं कि यह अदालत के समक्ष मुकेश आरोपी के बयान पर था जहां उन्होंने श्री एम. एल. शर्मा को आरोपमुक्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। अदालत ने आरोपी के अनुरोध पर श्री शर्मा को आरोपमुक्त करने पर आदेश पारित किया और उसके बाद वी. के. आनंद को याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त करने की अनुमति दी गई।

25. जबरदस्ती और यातना के संबंध में निवेदन का विरोध करते हुए, श्री सिद्धार्थ लूथारा ने कहा कि मुकेश न्यायिक हिरासत में था और

न्यायिक हिरासत से वह मुकदमे में भाग लेने के लिए अदालत जाता था। कई पर

कई मौकों पर, अदालत ने आरोपी के साथ बातचीत की और किसी भी अवसर पर, आरोपी ने किसी भी समय पुलिस या जेल अधिकारियों द्वारा किसी भी यातना की शिकायत नहीं की। श्री लूथरा ने आगे कहा कि अदालत ने मुकेश की चिकित्सा जांच का निर्देश दिया था और मुकेश से रिपोर्ट भी मांगी थी। पुलिस द्वारा यातना का आरोप कभी नहीं लगाया गया और न ही साबित किया गया

अभियुक्त।

26. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने का मुद्दा मुकदमे के दौरान या गवाहों की जिरह के दौरान नहीं उठाया गया था, इसलिए, इस स्तर पर, इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

27. श्री सिद्धार्थ लूथरा ने दिनांकित 22.12.2012 रिमांड आवेदन के संबंध में प्रस्तुतिकरण का जवाब देते हुए कहा कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद

18.12.2012 पर अभियुक्त को 19.12.2012 पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 20.12.2012 पर टी. आई. पी. किए जाने के बाद उसे 22.12.2012 पर तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, इसलिए रिमांड आवेदन 22.12.2012 पर दिया गया। 28. श्री लूथरा ने मुकेश के कॉल विवरण के आधार पर प्रस्तुतिकरण का जवाब देते हुए कहा कि इस न्यायालय ने अपने दिनांक आई. डी. 1 के फैसले में सभी सबूतों पर विस्तृत रूप से विचार किया है और कहा है कि मुकेश उस बस में था, जिसमें अभियोजक और पी. डब्ल्यू. 1 लगभग रात 9 बजे सवार हुए थे और यह साबित हुआ कि मुकेश बस चला रहा था। हमारे पास है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया और अभिलेखों का अवलोकन किया।

29. करोली में गिरफ्तारी की प्रस्तुति पर आते हुए, उच्च न्यायालय ने इस प्रस्तुति पर पैरा 288 से लेकर 244 तक में विचार किया है। उच्च न्यायालय ने पैरा 290 में ध्यान दिया है कि याचिकाकर्ता ने धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में कहा है।

एक सवाल के जवाब No.132 में दावा किया गया कि उन्हें राजस्थान के उनके गांव करोली में नहीं पकड़ा गया था, बल्कि दिल्ली के रविदास कैंप में गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रभु बनाम में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर ध्यान दिया। सम्राट, ए. आई. आर. 1944 पी. सी. 73 ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी में किसी भी अनियमितता से दोषसिद्धि प्रभावित नहीं होगी। पुलिस ने 18.12.2012 पर एक औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई है और इस अदालत ने अपने दिनांकित 05.05.2017 के फैसले के माध्यम से इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि आरोपी को औपचारिक रूप से सफ़दरजंग अस्पताल में 18.12.2012 पर शाम 6:30 बजे सफ़दरजंग अस्पताल में गिरफ्तार किया गया था। यह निवेदन यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई आधार नहीं बनाता है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि और मुकदमे को किसी भी तरह से दूषित किया गया है ताकि दिनांकित 05.05.2017 निर्णय की समीक्षा के लिए कहा जा सके। 05.05.2017 दिनांकित निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। 30. इस दलील पर आते हुए कि श्री वी. के. आनंद, अधिवक्ता को याचिकाकर्ता पर मजबूर किया गया था, यह निचली अदालत के आदेश पत्र को नोट करने के लिए पर्याप्त है जिसमें सभी तथ्यों पर ध्यान दिया गया था। दिनांक 24.01.2013 की कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने अभिलिखित किया हैः

" ..... अंत में, मैंने जेसी से आरोपी मुकेश को अपने कक्ष में बुलाया और उससे उसके वकील के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि पहले उन्होंने श्री मनोहर लाल शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 08.01.2013 और 09.01.2013 के माध्यम से नियुक्त किया था, लेकिन अब वे अपने वकील को बदलना चाहेंगे और आज से इस अदालत के समक्ष अपने वकील के रूप में श्री V.K.Anand, अधिवक्ता को नियुक्त किया है। वकालतनामा दाखिल किया जाता है। इस प्रकार अधिवक्ता श्री मनोहर लाल शर्मा को छुट्टी दे दी जाती है।

अभियुक्त मुकेश ने यह भी बताया कि वह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित स्थानांतरण याचिका में श्री एन. राजारमन, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड की सेवाओं का लाभ उठाने का इरादा नहीं रखता है और उसने अधिवक्ता श्री आई. डी. 1 से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना वकील बनने का अनुरोध किया था।

रिकॉर्ड में किसी अन्य अधिवक्ता को नियुक्त करें।

जब अभियुक्त ने फिर से एम. एल. शर्मा की सेवाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया, तो कहा कि तथ्य 20.03.2013 कार्यवाही पर दर्ज किया गया था और

श्री शर्मा ने आरोपी मुकेश का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। बाद के आदेश पत्र से यह भी संकेत मिलता है कि श्री शर्मा कई मौकों पर पेश नहीं हुए। आधा दर्जन से अधिक तिथियाँ, जो क्रॉस [2018] 7 एस. सी. आर. के लिए तय की गई थीं।

अभियुक्त की ओर से जाँच करने पर न्यायालय के पास न्यायमित्र नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। श्री शर्मा का यह निवेदन कि अधिवक्ता वी. के. आनंद को उसकी इच्छा के विरुद्ध अभियुक्त पर मजबूर किया गया था, पूरी तरह से असमर्थनीय है और निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं करता है।

31. पुलिस द्वारा यातना के संबंध में प्रस्तुतिकरण के संबंध में, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि निचली अदालत ने कई मामलों में अभियुक्तों के साथ बातचीत की।

कई मौकों पर और किसी भी अवसर पर अभियुक्त द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। आरोपी न्यायिक हिरासत में था। निचली अदालत ने अपनी दिनांक 24.01.2013 की कार्यवाही में निम्नलिखित दर्ज कियाः

" ..... मैंने आरोपी मुकेश से यह भी पूछा है कि क्या उसे हिरासत में उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, उसके संबंध में कोई शिकायत है, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

श्री शर्मा का यह निवेदन कि धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज अभियुक्त का बयान न्यायमित्र के दबाव और प्रभाव में था क्यूरी के पास खड़े होने के लिए पैर नहीं हैं। उपरोक्त तर्क को खारिज कर दिया गया है क्योंकि बयान अदालत द्वारा दर्ज किया गया था और आरोपी न्यायिक हिरासत से आ रहा था और आरोप के अनुसार पुलिस द्वारा उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता था। मार्च 2013 में दायर हलफनामे पर, निचली अदालत ने तुरंत एक रिपोर्ट मांगी थी और निचली अदालत द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि याचिका को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं आई थी।

32. इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 05.05.2017 के फैसले में पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य और वैज्ञानिक सहित अन्य साक्ष्यों को मार्शलिंग के बाद माना है।

सबूत है कि मुकेश बस चला रहा था। यह मुद्दा कि क्या उसके पास बस चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं, अभियुक्त के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं है, जिसे उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है।

33. इस न्यायालय ने अपने निर्णय में पैरा संख्या 127 में याचिकाकर्ता से की गई वसूली का उल्लेख किया है। द्वारा रिमांड आवेदन दिया गया था

पुलिस टी. आई. पी. के समापन के बाद याचिकाकर्ता से की गई वसूली पर चर्चा की गई है और माना जाता है कि हम याचिकाकर्ता को उक्त मुद्दों पर फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

34. आरोपी नंबर 2 के विद्वान वकील-मुकेश ने तर्क दिया कि आरोपी नंबर 2-मुकेश को गाड़ी चलाना नहीं आता है जैसा कि उसके साक्ष्य से पता चलता है। ड्राइविंग लाइसेंस जो दर्शाता है कि लाइसेंस केवल हल्के मोटर वाहन (एल. एम. वी.) के लिए था और वह बस चलाना नहीं जानता। आरोपी नंबर 2-मुकेश का आगे का तर्क है कि कॉल विवरण रिकॉर्ड मुकेश बनाम के अनुसार।

(सी. डी. आर.), वह 16.12.2012 पर दोपहर 08.55 बजे बस में मौजूद नहीं हो सकता था। 35. यह तर्क कि आरोपी नंबर 2-मुकेश को गाड़ी चलाना नहीं आता है, मुकदमे के दौरान या साक्ष्य में नहीं उठाया गया है और अभियुक्त द्वारा गवाहों से जिरह भी नहीं की गई है। विचार करने पर

पीडब्लू-1 के साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य सहित अन्य साक्ष्य, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त नं। 2 - मुकेश बस चला रहा था। यह मुद्दा कि क्या अभियुक्त संख्या 2-मुकेश के पास बस चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, अभियुक्त के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं है जिसे उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है।

36. इस तर्क में कोई दम नहीं है कि आरोपी नंबर 2-मुकेश बस नहीं चला सकता था और वह बस में मौजूद नहीं था।

घटना का समय। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 313 Crl.P.C के तहत पूछताछ में, आरोपी नंबर 2-मुकेश ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह बस चला रहा था और इसका विस्तार से निर्णय के पैरा (305) में उल्लेख किया गया हैः

" 302. धारा 313 Cr.PC के तहत अपनी पूछताछ में मुकेश, ए-2 ने स्वीकार किया है कि वह और ए-1, राम सिंह (मृतक होने के बाद से) हैं।

भाइयों। उसने यह भी स्वीकार किया है कि आईडी1 की रात वह बस चला रहा था और आरोपी पवन और विनय शर्मा ड्राइवर की सीट के पीछे बैठे थे, जबकि अक्षय और राम सिंह ड्राइवर के केबिन में बैठे थे। धारा 313 Cr.PC के तहत उनके बयान का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" प्र. 2। यह आपके खिलाफ सबूत है कि पीडब्लू 1 ने आगे बयान दिया कि उन्होंने उन्हें द्वारका ले जाने के लिए 4-5 ऑटोरिक्शा-वालों से पूछताछ की, लेकिन उन सभी ने मना कर दिया। लगभग 9 बजे वे मुनिरका बस स्टैंड पर पहुँचे और उन्हें एक सफेद रंग की बस मिली जिस पर "यादव" लिखा हुआ था। बस में एक लड़का फोन कर रहा था

द्वारका/पालम मोड़ के लिए यात्री। पीडब्लू 1 ने बस पर पीले और हरे रंग की रेखाओं/धारियों को देखा और यह कि बस का प्रवेश द्वार उसके सामने के टायर से आगे था, जैसा कि लक्जरी बसों में होता है।
सामने के टायर में पहियों का आवरण नहीं था। आपको क्या करना है?

कहो?

उत्तर। : मैं बस चला रहा था जबकि मेरे भाई राम सिंह, मृतक होने के कारण और जे. सी. एल., राजू यात्रियों को यह कहकर बुला रहे थे

" पालम/द्वारका मोड़ "।

प्रश्न 4. : यह आपके खिलाफ सबूत है कि अपने बयान के दौरान, शिकायतकर्ता, पीडब्लू 1 ने आपकी पहचान आरोपी के रूप में की है।

मुकेश वह व्यक्ति होगा जो चालक की सीट पर बैठा था और बस चला रहा था; पीडब्लू 1 ने आगे आपके सह-अभियुक्त राम सिंह (मृत होने के बाद) और अक्षय कुमार की पहचान की जो चालक के साथ चालक के केबिन में बैठा था; पीडब्लू 1 ने आपके सह-अभियुक्त पवन कुमार की भी पहचान की थी जो बस की दो सीटों की पंक्ति में उसके सामने बैठा था; पीडब्लू 1 ने आपके सह-अभियुक्त विनय शर्मा की भी पहचान उस व्यक्ति के रूप में की थी जो चालक के केबिन के ठीक पीछे तीन सीटों की पंक्ति में बैठा था, जब पीडब्लू 1 ने बस में प्रवेश किया; पीडब्लू 1 ने अदालत के समक्ष गवाही दी है कि कंडक्टर जो फोन कर रहा था।

उत्तर। : आरोपी पवन और आरोपी विनय शर्मा मेरी ड्राइवर सीट के पीछे बैठे थे और जबकि आरोपी बैठे थे। अक्षय ड्राइवर के केबिन में बैठा था जबकि मेरा भाई राम सिंह, क्योंकि मृतक यात्रियों के लिए पूछ रहा था।

उत्तर। : यह सही है कि बस की खिड़कियाँ, एक्स्ट। पी-1 पर काली परत लगी हुई थी लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि बस की सीटों पर लाल आवरण थे या पर्दे पीले रंग के थे। मेरे भाई राम सिंह के रूप में रंग, जब से उनकी मृत्यु हुई है, केवल रोजाना बस चलाते थे और उस दिन क्योंकि वह बहुत नशे में थे इसलिए मैं उन्हें अपने घर लाने के लिए मुनिरका गया था और इसलिए, मैं उस दिन बस चला रहा था। मैं अपने भतीजे के साथ साइकिल पर राम सिंह को लाने के लिए मुनिरका गया था।

मृतक, और यह कि राम सिंह के साथ अन्य लड़के पहले ही आर. के. पुरम से बस ले चुके थे। मुझे राम सिंह ने मुनिरका आने के लिए फोन किया था। ”

37. श्री शर्मा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आरोपी नंबर 2 मुकेश बस में मौजूद नहीं था, इस अदालत के फैसले में एक से अधिक स्थानों पर विचार किया गया है। बस में आरोपी नंबर 2-मुकेश की उपस्थिति पर भी विचार किया गया है। गवाह पीडब्लू-82, पैरा (298) में बस में श्री राम आधार। जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 313 Crl.P.C के तहत अपनी पूछताछ में, आरोपी नंबर 2

मुकेश ने स्वीकार किया है कि वह और आरोपी नंबर 1-राम सिंह (मृतक होने के नाते) भाई हैं और आईडी 1 की रात को वह (आरोपी नंबर 2-मुकेश) बस चला रहा था और वह आरोपी-पवन और आरोपी विनय शर्मा ड्राइवर सीट के पीछे बैठे थे जबकि आरोपी-अक्षय ड्राइवर के केबिन में बैठे थे। आरोपी-राम सिंह और जे. सी. एल., राजू "पालम/द्वारका मोड़" कहकर यात्रियों को बुला रहे थे। जब धारा 313 Cr.P.C के तहत पूछताछ में इस तरह की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है, तो अब याचिकाकर्ता-आरोपी नंबर 2-मुकेश बस में अपनी उपस्थिति से इनकार करने वाली याचिका नहीं उठा सकता है।

38. आरोपी नंबर 2-मुकेश द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि वह 16.12.2012 पर दोपहर 08.55 पर बस में मौजूद नहीं हो सकता था जैसा कि कॉल विवरण रिकॉर्ड (CDR) से देखा गया है और उसका फोन नंबर लाजपत नगर का स्थान दे रहा था। इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से तर्क दिया गया है और इससे निपटा गया है क्योंकि निकटता में संकेतों का अतिव्यापी होना आम बात है।

39. इस न्यायालय ने तीनों मृत्यु घोषणाओं पर विस्तार से विचार किया था। निचली अदालत, उच्च न्यायालय और इस अदालत द्वारा तीनों अंतिम घोषणाओं पर भरोसा करने के बाद और अंतिम घोषणाओं पर हमला करने वाली सभी दलीलों पर विचार करने और खारिज करने के बाद, अपने दिनांक 1 के फैसले में, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को उन मुद्दों को फिर से आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर इस अदालत द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका था और जिन्हें स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था।

40. पीड़ित ने तीन मृत्यु घोषणाएँ कीः - (i) पीडब्लू द्वारा दर्ज किया गया बयान-पीड़ित के अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद 49 डॉ. रश्मि आहूजा द्वारा दर्ज किया गया बयान; (ii) पीडब्लू द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु घोषणा (Ex.PW-27/ए)-27 एस. डी. एम. उषा चतुर्वेदी द्वारा 21.12.2012 पर दर्ज किया गया बयान; और (iii) मृत्यु पीडब्लू द्वारा दर्ज घोषणा (Ex.PW-30/डी)-पवन कुमार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 25.12.2012 पर 1: 00 पी. एम. बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा और इशारों और लेखन द्वारा उत्तरों को दर्ज करके। पहली मृत्यु घोषणा (Ex.PW-49/A) में, अभियोजक ने कहा है कि दो से अधिक पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके होंठों, गालों और स्तन पर काटा और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए। पीडब्लू-27 द्वारा दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा (Ex.PW-27/ए) में, पीड़ित ने पूरे [2018] 7 एस. सी. आर. का वर्णन किया है।

बहुत विस्तार से घटना, प्रत्येक आरोपी की भूमिका को निर्दिष्ट करना, व्यक्तियों की संख्या द्वारा किया गया बलात्कार, उसके गुप्तांगों में लोहे की छड़ डालना, बस का विवरण, की गई डकैती और दोनों को फेंकना

पीड़ित नग्न अवस्था में चलती बस से बाहर निकलते हैं। 25.12.2012 पर 1: 00 पी. एम. , पीडब्लू-30 पवन कुमार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पीड़ित से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछकर और इशारों और लेखन के माध्यम से उत्तर प्राप्त करके बयान दर्ज किया। तीसरी घोषणा करते हुए,

पीड़ित ने अपनी खुद की लिखावट में अभियुक्त के नामों को प्रकट करने की भी कोशिश की। राम सिंह, मुकेश, विनय, अक्षय, विपिन, राजू "।

41. तीन मृत्यु घोषणाओं के संबंध में उठाए गए सभी तर्कों पर पैराग्राफ (148) से (192) और पैराग्राफ (395) से लेकर (417) . सभी तीन अंतिम घोषणाओं पर विचार करते हुए, अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आलोक में, इस न्यायालय ने माना कि सभी तीन अंतिम घोषणाएं सत्य, स्वैच्छिक और सुसंगत हैं। जहाँ तक तीसरी मृत्यु घोषणा का संबंध है, इस न्यायालय ने पैरा (408) से (412) में यह अभिनिर्धारित किया कि संकेतों, इशारों या सिर हिलाकर की गई मृत्यु घोषणा साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और यह उचित है।

पीडब्लू-30 पवन कुमार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान रखा गया था और पीड़ित द्वारा किए गए संकेतों, इशारों द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्नों के जवाब में दर्ज की गई तीसरी मृत्यु घोषणा स्वीकार्य है

सबूत। तीसरी मौत की घोषणा में, पीड़ित ने आरोपी व्यक्तियों के नाम भी लिखे "राम सिंह, मुकेश, विनय, अक्षय, विपिन, राजू"। जहाँ तक अभियोजक द्वारा तीसरे मृत्युदंड की घोषणा में लिखे गए अभियुक्त विपिन के नाम पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा (150) और (188) में विस्तृत रूप से विचार किया गया है।

42. इस न्यायालय ने पीडब्लू. 1 के साक्ष्य की व्यापक रूप से जांच की है और उक्त साक्ष्य को विश्वसनीय के रूप में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त कारण दिए हैं। याचिकाकर्ता को मामले को फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

43. श्री शर्मा द्वारा उठाया गया एक और तर्क यह है कि आरोपी नंबर 2-मुकेश से उनके कार्यकाल के दौरान दो अलग-अलग बरामदगी हुई थी।

केवल उसे गलत तरीके से फंसाने के लिए हिरासत में लिया गया और इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। यह आगे का तर्क है कि आई. ओ. द्वारा दायर रिमांड रिपोर्ट। (एक्स. पीडब्लू-80/डी2) पर विचार नहीं किया गया था जिसका अर्थ था कि 22.12.2012 तक कोई प्रकटीकरण मौजूद नहीं था और प्रकटीकरण और

दिखाई गई वसूली अत्यधिक संदिग्ध है। अभियुक्त संख्या 2-मुकेश की गिरफ्तारी और बरामदगी का उल्लेख पैरा (116), (117) और सारणीबद्ध कॉलम में पैरा (128) में किया गया है और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनमें से प्रत्येक से बरामद वस्तुओं की बरामदगी का विवरण भी आगे मुकेश बनाम है।

दिल्ली राज्य [अशोक भूषण, जे.]

पैरा (441) में विस्तार से संदर्भित। विभिन्न निर्णयों के आलोक में, वसूली पर पैरा (129) से (137) और पैरा में विचार किया गया था।

दायरा

(442) (452) और अभियुक्त संख्या 2 मुकेश की ओर से उठाई गई दलीलों को असमर्थनीय माना गया। तर्क अब आगे बढ़ गए

गिरफ्तारी और लेखों की बरामदगी के बारे में संदेह, हमारे विचार में, निर्णय की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनाते हैं।

44. अभियुक्त नंबर 2 के विद्वान वकील-मुकेश ने तर्क दिया कि करोली/राजस्थान में 17.12.2012 पर मुकेश की अवैध हिरासत और उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में विफलता पर इस अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया था। जैसा कि पहले बताया गया है, आरोपी संख्या 2-मुकेश की गिरफ्तारी का विवरण फैसले के पैरा (116) में विस्तार से संदर्भित किया गया है और विभिन्न बरामदगी को पैरा (116), (117), (127) में संदर्भित किया गया है।

(440) और निर्णय का (441)। टी. आई. पी. कार्यवाही में पीडब्लू-1 द्वारा सैमसंग गैलेक्सी फोन (आरोपी मुकेश से बरामद) की पहचान

20.12.2012 पर आयोजित अभियुक्त संख्या 2 मुकेश (पैरा (441) के माध्यम से) से वस्तुओं की बरामदगी की पुष्टि करता है। इसके अलावा, आरोपी नंबर 2 मुकेश से बरामद खून से लथपथ पैंट, टी-शर्ट और जैकेट से उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल, जो पीड़ित के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है, आरोपी नंबर 2-मुकेश से की गई बरामदगी की पुष्टि करता है।

45. जब अपील का निर्णय लिया गया था, तो सभी आवेदन यदि कोई लंबित हैं तो वे बंद हो जाएंगे और हमें इस मामले में निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है, विशेष रूप से जब पक्ष उन सभी साक्ष्यों का नेतृत्व करते हैं जो उनके अधिकार में थे।

46. हम देख सकते हैं कि श्री शर्मा द्वारा इस समीक्षा याचिका में हमारे सामने जो प्रस्तुतियाँ उठाई गई हैं, वे कमोबेश प्रस्तुतियाँ जो अपील की सुनवाई के समय आगे बढ़ा दी गई थीं और इस न्यायालय ने पहले ही प्रासंगिक प्रस्तुतियों पर विचार किया था और

उन्हें अपने निर्णय दिनांक 05.05.2017 में निपटाया। इस अदालत ने सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड में दिए गए सभी साक्ष्यों को देखा और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद अपील को खारिज कर दिया। पुनरीक्षण याचिका द्वारा याचिकाकर्ता को कुछ सबूतों और सामग्रियों को इंगित करके मामले के गुण-दोष पर अपील पर फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो रिकॉर्ड में थे और जिन पर पहले से ही निचली अदालत, उच्च न्यायालय और इस अदालत द्वारा भी गौर किया जा चुका था।

47. पुनर्विचार याचिका में याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर करने की कोशिश की थी कि वह बस में नहीं थे और उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। द. अपराध में शामिल होने के तथ्य को सभी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों द्वारा दर्ज किया गया है

अदालतों और सबूतों को मार्शलिंग करने के बाद, उसे सी और सजा सुनाई गई है, यह याचिकाकर्ता के लिए समीक्षा पी में खुला नहीं है कि उसका घटना से कोई लेना-देना नहीं था।

48. हमने पेटीटी के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ वकील को सीखा और चला गया

पुनरीक्षण याचिका में लिए गए आधारों से पता चलता है कि पुनरीक्षण याचिका किसी भी आधार का खुलासा करती है, जिस पर न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र हो सकता है। नतीजतन, पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है।

अंकित ज्ञान

पेटिटिक की

समीक्षा करें